



F-07-08
F-07-11

**सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION**

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु - 560 037
MARATHAHALLI COLONY P.O
BENGALURU - 560 037

**वर्ग अनुमोदन सं. : 683 का संशोधन सहित नवीकरण
Amendment cum Renewal of Type Approval No.: 683**

विषय / Sub : नेविगेशन लाइट असेम्बली/ Navigation Light Assembly

यह घोषित किया जाता है कि मेसर्स अरुण हौजरी मिल्स (इलेक्ट्रानिक्स प्रभाग), डी-16/2, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेज़ - II, नई दिल्ली - 110020 द्वारा विकसित और उत्पादित "नेविगेशन लाइट असेम्बली" पार्ट सं. एएचएम-06-00-01(रेड) और एएचएम-06-00-02(ग्रीन) को पत्र सं. एरो/आरडी-114/7/2, दिनांक 06 अप्रैल 1993 द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 683 जारी किया था। तदुपरांत संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-683-5आर, दिनांक 13 अगस्त 2013 द्वारा नवीकरण किया गया था जिसकी वैधता 30 जून 2018 तक थी।

This is to state that the "Navigation Light Assembly", bearing Part No.: AHM-06-00-01(Red) and AHM-06-00-02(Green), developed and manufactured by M/s Arun Hosiery Mills (Electronic Division), D-16/2, Okhla Industrial Area, Phase - II, New Delhi - 110 020 was issued with Type Approval Number: 683 vide letter Number: Aero/RD-125/114/7/2, dated: 06th April 1993. Subsequently, it was renewed vide Reference Number: CEMILAC/5070/TA - 683-5R, dated: 13th August 2013, with its validity up to 30th June 2018.

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 नवंबर 2018 से संतोषजनक निष्पादन प्रतिपुष्टि के आधार पर किया जाता है तथा 31 अक्तूबर 2023 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन (03) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (हेलिकॉप्टर्स), द्वारा मेसर्स एचएएल, हेलिकॉप्टर प्रभाग, बेंगलूरु - 560 017, से अनुरोध करना होगा। वर्ग अनुमोदन पत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी।

This is to certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f. 01st November 2018 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 31st October 2023 unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Helicopter), C/o M/s. HAL, Helicopter Division, Bengaluru - 560 017 three (03) months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.

3. संदर्भ सं. ऐरो/आरडी-125/114/7/2, दिनांक 06 अप्रैल 1993 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद पांच (05) में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

The Para five (05) of original Type Approval Certificate vide Reference No.: Aero/RD-125/114/7/2, dated: 06th April 1993 is amended as stated herewith.

“[अगर इस टाइप रिकॉर्ड के एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु - 560 037 की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।]”

“[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru - 560 037 is to be obtained to adopt any changes in the Type Approval, SOP and in the declared performance indicated in the Type Record. The Type Approval is not transferable to any other agency]”.

4. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन पत्र / प्रमाणपत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होगा।

All other conditions stipulated in the initial type approval letter / certificate remains unaltered, and fully applicable.

सं. / No.: सेमिलैक/CEMILAC/5070 /टी.ए/TA-683/6R

दिनांक / Date : 09 November 2018

फैक्स सं. / Fax No.: 080-25230856

05th Nov 18

Pmm

पी . जयपाल/ P. JAYAPAL

उत्कृष्ट वैज्ञानिक / Outstanding Scientist

मुख्य कार्यपालक (उड़नयोग्यता)/

Chief Executive (Airworthiness)